International Journal for Multidisciplinary Research
Plagiarism & Intellectual Property Rights in Digital Age (PIPRDA-2023)
E-ISSN: 2582-2160 ● Website: www.ijfmr.com ● Email: editor@ijfmr.com

निजीकरण, उदारीकरण एवं वैश्वीकरण का भारतीय अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव का एक अध्ययन

डॉ. रबीन्द्र नाथ यादव

पूर्व प्रभारी प्राचार्य श्री द्वारिका प्रसाद यादव शिक्षा महाविद्यालय अशोक नगर (म0प्र0

''प्रस्तावना''

भारतीय नई आर्थिक नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थ व्यवस्था में उदारीकरण एवं निजीकरण को बढ़ावा देकर वैश्वीकरण के मार्ग को प्रसस्त करना है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो पहले नियमों एवं प्रतिबन्धों में जकड़ी हुई थी अब खुलकर सांसे लेने लगी है। और विश्व के देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर प्रगति की ओर अग्रसर है, क्योंकि ''आर्थिक वैश्वीकरण (Economic Globalisation) में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं को अन्तराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से जोड़ने की प्रक्रिया समाविष्ट है और यह व्यापार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अल्पकालीन पूँजी प्रवाहों श्रम तथा सामन्यतः मानव जाति के अन्तराष्ट्रीय प्रवाह और प्रौद्योगिकी के प्रवाह द्वारा सम्पन्न किया जाता है :– जगदीश भगवती

वैश्वीकरण (Globalisation) :– यह इस प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत इसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थ व्यवस्थाओं का समन्वय किया जाता है ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं, प्रौद्योगिकी पूंजी तथा श्रम अथवा मानवीय पूँजी का विभिन्न देशों के बीच निर्वाह प्रवाह हो सके वैश्वीकरण के चार प्रमुख अंग है।

1. व्यापार अवरोधों को कम करना ताकि वस्तुओं एवं सेवाओं का बेरोक–टोक आदान–प्रदान हो सके।
2. एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना ताकि विभिन्न देशों के बीच पूँजी का स्वतंत्र प्रवाह हो सके।
3. ऐसा वातावरण बनाना ताकि प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह हो सके।
4. एंसा वातावरण तैयार करने जिससे विश्व के विभिन्न देशों के बीच श्रम का निर्बाध प्रवाह हो सके।

भारतीय सन्दर्भ में वैश्वीकरण का तात्पर्य :– भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी कम्पनियों एवं निगमों के मार्ग प्रशस्त करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना तथा इनके मार्ग में आने वाले अड़चनों प्रतिबंधो एवं अवरोधो को हटाना, भारतीय कम्पनियों को विदेशी कम्पनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति देना, व्यापार में मात्रात्मक एवं गैर मात्रात्मक प्रतिबंधो को समाप्त करना निजीकरण एवं उदारीकरण को बढ़ावा देना ही मुख्य रुप से तात्पर्य में सम्मिलित हैं। और भूमण्डलीकरण से तात्पर्य है, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ताकि वह विश्व के अन्य देशों के साथ प्रतियोगिता करते हुए तेजी से विकास कर सकें।

''उदारीकरण''
(LIVERALISATION)

उदारीकरण का अर्थ (LIVERALISATION) – आर्थिक उदारीकरण के दो अंग हैं– प्रथम, उन उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए खोलना जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे तथा द्वितीय, निजी क्षेत्र के लिए नियमों एवं प्रतिबन्धो में ढील देना अथवा उनमें उदारता बरतना। इस तरह उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक नीतियों में सरकारी प्रतिबंधो में ढील देना अथवा उनमें उदारता बरतना। इस तरह उदारीकरण से तात्पर्य है आर्थिक नीतियों में सरकारी प्रतिबंधो की छूट। जब सरकार व्यापार में उदारीकरण की नीति अपनाती है तो इसका तात्पर्य है उसने प्र"ाुल्क एवं आर्थिक अनुदान (Tariffs and Subsidies) तथा अन्य प्रतिबंधो को हटा दिया है ताकि देश में वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्बाध आयात–निर्यात हो सके। उद्योागों में उदारीकरण की नीति अपनाने का तात्पर्य है कि वे उद्योाग जो पहले सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थें उन्हे निजी क्षेत्र के लिए खोल देना। निजी क्षेत्र को पूर्व में उद्योगों की स्थापना करने के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या भी घटाकर तीन कर दी गई है। निजी क्षेत्र को अब बहुत सारे नियमों एवं प्रतिबंधों में छूट दे दी गई है तथा विभिन्न औपचारिकताओं का सरलीकरण कर दिया गया है।

'उदारीकरण' एवं 'बाजार–उन्मुख अर्थव्यवस्था'– सैद्धान्तिक रुप से उदारीकरण एवं 'बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था' दो भिन्न अवधारणाएं हैं, फिर भी उदारीकरण से बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था बाजार की मांग एवं पूर्ति की शक्तियों के विकास से प्रभावित होती है तथा सरकार द्वारा उत्पादकों पर किसी तरह के प्रतिबंध नही लगाए जाते हैं। जब उदारीकरण की नीति को अपनाया जाता है तब अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका क्रमशः कम होती जाती है क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए तथा किसके लिए उत्पादन किया जाय यह निर्णय निजी उद्यमियों द्वारा लिया जाता है। उत्पादक वर्ग बाजार की मांग–पूर्ति की शक्तियों के अनुरुप विभिन्न निर्णय लेते हैं।

उदारीकरण नीति की आवश्यकता व उद्दश्य – उदारीकरण नीति को अपनाने के पीछे निम्नलिखित उद्देश्य छिपे होतें हैं :

1. इससे प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक वातावरण का सृजन होता है।
2. देश के निवासियों को सस्ती और गुणवत्ता युक्त वस्तुएं उपनब्ध होती है।
3. विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलता हैं।
4. संसाधनों का समुचित उपयोग होता है।
5. औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलता है।
6. अर्थव्यवस्था का भूमण्डलीकरण होनें में मदद मिलती है।
7. घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार होता है।

8. रोजगार के अवसरों में बृद्धि होती हैं।
9. लोगों के जीवन स्तर में सुधार होता है।

भारत में उदारीकरण नीति–

भारत में अपनायी गई उदारीकरण नीति के दो भागों में विभाजित किया जा सकता है :

1. **नरम उदारीकरण नीति** (1985 से 1991)– वर्ष 1985 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के शासनकाल में उदारीकरण का युग प्रारम्भ हुआ। इस उदारीकरण नीति के अन्तर्गत देश में निम्नलिखित कदम उठाए गए

(1) मार्च 1985 में सरकार द्वारा 25 बड़ी श्रेणी के उद्योगों को लाइसेन्स से मुक्त करने की घोषणा की गई।

(2) 'एम. आर. टी. पी' तथा 'फेरा' के अन्तर्गत आने वाले 22 उद्योगों को लाइसेन्स लेने से मुक्त कर दिया गया तथा एम. आर. टी. पी. कम्पनी की पूंजी निवेश की सीमा को 20 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 100 करोड़ रुपये कर दिया गया ।

(3) जून 1985 को 82 फार्मास्युटिकल्स कम्पनियों को भी लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया।

(4) लघु उद्योगों की उन्नति के लिए पूंजी निवेश की सीमा को 20 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया गया । सहायक उद्योगों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 45 करोड़ रुपये कर दी गई है।

(5) शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाइयों को लाइसेन्स से पूर्णतया मुक्त कर दिया गया।

वर्ष 1985–91 की अवधि के दौरान उदारीकरण का यह क्रम कमोवेश जारी रहा। देश में औद्योगिकी इकाइयों को विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए तथा छूट प्रदान की गई, परन्तु औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास में आशातीत सफलता नहीं प्राप्त की जा सकी। अतः देश की आर्थिक एवं औद्योगिक नीति में मूलभूत परिवर्तन लाकर उदारीकरण की नीति की घोषणा की गई जिसने देश में उदारीकरण, निजीकरण एवं भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया को नई दिशा प्रदान की।

2. **गहन उदारीकरण नीति** (1991 के पश्चात की अवधि) – वर्ष 1991 में नरसिम्हाराव की सरकार ने जो नई आर्थिक नीति घोषित की उसमें औद्योगिक, व्यापारिक, वित्तीय, मौद्रिक आदि क्षेत्रों में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया गया। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करने, भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ने तथा देश की अर्थव्यवस्था में निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने की दिशा में अनेक कदम उठाए गए।

उदारीकरण नीति के प्रति आशंकाएं

आर्थिक उदारीकरण नीति के प्रति प्रायः निम्नलिखित आशंकाएं व्यक्त की जाती है :

(1) उदारीकरण नीति के फलस्वरुप भारत में विदेशी निवेश बढ़ा है परन्तु विदेशी कम्पनियां प्रायः उन्हीं क्षेत्रों में निवेश करती हैं जहां लाभ की सीमा अधिक होती है। यहां कम्पनियां देश के हितों को ध्यान में न रखकर अपने लाभ के प्रति ज्यादा सचेत होती है।

(2) आयात शुल्क में कटौती और मात्रात्मक प्रतिबंध हटने से देश में वे वस्तुएं आने लगेंगी जिनका उत्पादन देश में ही होता है। हमारे उद्योग–धन्धे विदेशी बड़ी कम्पनियों से प्रतियोगिता नहीं कर पाएंगे और धीरे–धीरे बन्द हो जाएंगे और अंततः देश के उद्योग–धन्धों पर विदेशी कंम्पनियों का कब्जा हो जाएगा।

(3) भारत सरकार उदारीकरण की नीति विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर रही है जो विकसित देशों के हित में है।

निजीकरण
(PRIVATISATION)

निजीकरण से अर्थ (Meaning of Privatisation) – निजीकरण से तात्पर्य उस नीति से है जिसके द्वारा किसी उद्यम के सरकारी स्वामित्व को निजी स्वामित्व में बदला जाता है या किसी लोक उद्योग के लोक प्रबन्धन (Public management) – को निजी क्षेत्र के हाथ में सौंप दिया जाता है। अन्य शब्दों में निजीकरण समाज में एक नयी संस्कृति के विकास का बोध कराता है जिसमें विपणन, प्रतिस्पर्धा तथा कुशलता आर्थिक निर्णय लेने के मार्गदर्शी सिद्धान्त बन जाते हैं। इंग्लैण्ड में निजीकरण के द्वारा स्थानीय संस्थाओं के स्वामित्व वाले भवनों को उनमें रहने वाले किराएदारों को बेच दिया गया तथा सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों के 50 प्रतिशत शेयरों को निजी कम्पनियों को बेच दिया गया। ऐसा करने के पीछे यह तर्क दिया गया कि इससे आर्थिक कार्यक्षमता में वृद्धि होगी।

निजीकरण के उद्देश्य (Objective of Privatisation)

अर्थव्यवस्था के निजीकरण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित माने जाते है :

1. आर्थिक विकास हेतु वित्तीय संसाधनों को जुटाना।
2. निजी क्षेत्रकी प्रबन्धकीय योग्यता एवं दक्षता का उपयोग करना।
3. राष्ट्रीय आवश्यकताओं एवं प्राथमिकताओं के अनुरुप निजी क्षेत्र की उत्पादन क्रियाओं को सार्वजनिक क्षेत्र के साथ समन्वित करना।
4. बाह्य ऋणों को घटाना।
5. अर्थव्यवस्था को प्रतियोगी बनाना।
6. नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना कर आयात–प्रतिस्थापन की प्रक्रिया को बल प्रदान करना।
7. उत्पादकता में वृद्धि करना तथा परिचालन क्षमता को बढ़ाना।
8. उपयुक्त तकनीक के प्रसार, अर्थव्यवस्था के आधुनिककरण तथा उद्योगों में विवेकीकरण के लिए आर्थिक शोध एवं विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देना।

निजीकरण का क्षेत्र
(PRIVATISATION)

निजीकरण का अर्थ है निजी क्षेत्र को राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों में सम्मिलित करने की सामान्य प्रक्रिया। निजीकरण के क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाली क्रियाएं निम्नवत हैं :

1. किसी सरकारी कम्पनी को पूर्ण रुप से या आंशिक रुप से खरीद लेना।
2. कम्पनी को कॉन्ट्रेक्ट पर लेना।
3. प्रबन्ध का निजीकरण–प्रबंध सम्बंधी कान्ट्रेक्ट देना, लीज पर देना या फ्रैन्चाइज व्यवस्था।

निजीकरण में तीन प्रकार के उपाय शामिल हैं :

(1) स्वामित्व–सम्बंधी उपाय (Measures relating Ownership)

पूर्ण या आंशिक स्वामित्व निजी उद्यम के हाथ देना। ऐसा निम्न प्रकार से हो सकता है :

(क) **पूर्ण विराष्ट्रीकरण** (Total Denationalisation) – इसका अर्थ है लोक उद्यमों के पूर्ण स्वामित्व को निजी हाथों में हस्तान्तरित करना।

(ख) **संयुक्त कम्पनी** (Joint Venture) – लोक उद्यम को आंशिक रुप से निजी स्वामित्व में हस्तान्तरित करना। निजी स्वामित्व 25 से लेकर 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

वैश्वीकरण की विशेषताएं
(CHARACTERISTICS OF GLOBALISATION)

वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं :

1. वैश्वीकरण के अंतर्गत देश की अर्थव्यवस्था कर विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत किया जाता है।
2. वस्तुओं एवं सेवाओं का एक देश से दूसरे देश में निर्बाध प्रवाह होता है।
3. बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का विस्तार होता है।
4. सरकार की राष्ट्रीय समष्टि आर्थिक नीतियों का क्षेत्र कम हो जाता है।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क (Arguments in favour of Globalisation)

वैश्वीकरण के समर्थक इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत करते हैं।

1. वैश्वीकरण से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रोत्साहित होगा जिसके फलस्वरुप विकासशील देश बिना अन्तर्राष्ट्रीय ऋणग्रस्तता, कायम किए अपने विकास के लिए पूँजी प्राप्त कर सकेगें।
2. वैश्वीकरण से विकासशील देशों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी स्वतः प्राप्त हो जाएगी।
3. वैश्वीकरण से ज्ञान तेजी से विस्तार होता है जिसके फलस्वरुप विकासशील देश अपने उत्पादन एवं उत्पादकता के स्तर को उन्नत कर सकते हैं। इस तरह यह उत्पादकता के अंतराष्ट्रीय स्तर को प्राप्त करनें में सहायक है।
4. वैश्वीकरण विकासशील देशों को विकसित देशों में अपनी उपज का निर्यात करने की पहुँच का विस्तार करता है, साथ ही यह विकासशील देशों को उच्च गुणवत्ता वाली उपभोग वस्तुओं विशेषकर चिरकालीन उपभोग वस्तुओं को अपेक्षाकृत कम कीमत पर प्राप्त करने योग्य बनाता है।
5. वैश्वीकरण से परिवहन एवं संचार की लागत कम हो जाती है। इससे प्रशुल्क भी कम हो जाते हैं तथा सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रुप में विदेशी व्यापार का भाग बढ़ जाता है।

निष्कर्ष रुप में यह कहा जा सकता है कि वैश्वीकरण को विकास के लिए प्रौद्योगिकीय प्रगति तथा उत्पादकता में वृद्धि का इंजन समझा जा सकता है। यह रोजगार के विस्तार के साथ गरीबी कम करने तथा आधुनिकीकरण का कारण तत्व बन जाता है।

भारत में वैश्वकीकरण होने से लोगों को भारी शंकाएं हैं: (1) भारतीय उद्योगों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे विदेशी कम्पनियों द्वारा निर्मित वस्तुओं की क्वालिटी में पीछे रह जायेगें (2) जिससे उद्योग बन्द होने की स्थिति में आ जायेगें। (3) उद्योगों को घाटा होगा, (4) श्रमिकों में बेरोजगारी फैल जायेगी। (5) आगे चलकर यह विदेशी कम्पनियां देश का शोषण करेगी, आदि (6) इन सबसे देश की आत्म–निर्भरता प्रभावित होगी।

आलोचकों का कहना है कि कोई भी राष्ट्र विदेशी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायता से आगे नहीं बढ़ सकता है। उसे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। विदेशी निवेश उन्हीं क्षेत्रों में होना चाहिए जहां भारतीय कम्पनियां निवेश करने में सक्षम नहीं है।

आर्थिक नीति में भारतीय उद्योगों को अधिक प्रतियोगी बनने पर जोर दिया गया है जिसके लिए उद्योगों का आधुनिकीकरण करना होगा, अर्थात् आधुनिक तकनीक को अपनाना होगा व नवीनतम मशीनों को प्रमुख कारखानों में लाना होगा। लेकिन भारतीय उद्योगों के लिएए आधुनिकीकरण करना आसान नहीं है। इसके प्रमुख कारण हैं।

1. **पूंजी का अभाव** – यहां मालिकों के पास पूंजी का अभाव है और पूंजी को जुटा पाना उनके लिए आसान नहीं है। देश में वैसे ही पूंजी की कमी है, क्योंकि बचते सीमित ही हैं।
2. **श्रमिकों द्वारा विरोध** – भारत में श्रमिक आधुनिकीकरण से बहुत ही डरते है। उनका मानना है कि आधुनिकतम स्वचलित मशीनों के आने से कम श्रमिकों की आवश्यकता होगी। अतः उनके कारखाने में छंटनी होगी जिससे वे प्रभावित होंगे।
3. **विदेशी मुद्रा का अभाव** – आधुनिकीकरण के लिए मशीनों के आयात हेतु विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी। यहां पहले से ही विदेशी मुद्रा का अभाव है। आजकल तो उसे खुले बाजार से क्रय करना पड़ता है।

भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटक
(FACTORS FOSTERING GLOBALISATION IN INDIA)

भारत में वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाले प्रभुत्व घटक निम्नवत है :

1. **उन्नत प्रौद्योगिकी** – वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में उन्नत प्रोद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कम लागत पर सस्ती और गुणवत्तायुक्त वस्तुओं का उत्पादन उन्नत प्रोद्योगिक से ही संभव हो पाता है।

2. **उदारवादी नीतियां** – विभिन्न देशों द्वारा अपनायी जाने वाली उदारवादी नीतियों से ही वैश्वीकरण का मार्ग प्रशस्त हो सका है।

3. **प्रतिस्पर्द्धा** – प्रतिस्पर्द्धा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। प्रतिस्पर्द्धा के कारण ही कम्पनियों को विदेशों में नए बाजार ढूंढने की आवश्यकता हुई तथा इसी के फलस्वरुप उत्पादन एवं विक्रय की नवीन विधियों का विकास हुआ। विदेशी कम्पनियों की प्रतिस्पर्द्धा के डर से ही घरेलू कम्पनियां वि"व बाजार में अपना स्थान ढूंढने को बाध्य हुई और वै"वीकरण को बढ़ावा मिला।

4. **विकासशील देशों के अनुभव** – वै"वीकरण की प्रक्रिया को अपनाने वाली विकास"ाील अर्थव्यवस्थाएं– चीन, कोरिया, थाईलैण्ड, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर आदि आर्थिक विकास की ऊंची दर प्राप्त करने में सफल रहीं। वै"वीकरण करने के लिए प्रेरित किया।

''सारांश''

भारत में विनिवेश के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण (PRIVATISATION OF PUBLIC SECTOR THROUGH DISINVESTMENT IN INDIA) :– भारत की नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा जुलाई 1991 में की गई। जिसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पिछले चार दशकों में औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है, किन्तु फिर भी सार्वजनिक क्षेत्र की अवधारणा के विषय में विचार किया जाना इस समय उचित होगा क्योंकि कुछ उपलब्धियों के होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में अनेक दोष व्याप्त हो चुके है जैसे घाटे की निरन्तर स्थिति गिरती हुई उत्पादकता श्रमिको में घटकी हुई दक्षता तथा प्रबंधन एवं नियंत्रण का घटता हुआ स्तर इत्यादि जिसके लिए उत्तरदायी हैं अतः इस समय इसको दृष्टिगत रखते हुए ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया जो इसके निजीकरण के विषय में था और नीतिगत निर्णय था, इस निर्णय के अनुसार ऐसे उपक्रमों की स्वामि पूँजी (Equity - Capital) में सरकारी निवेश के साथ–साथ निजी क्षेत्र (Private - Sector) का समावेश भी किया जाना सम्मिलित था। जिसका आशय यह था कि विभिन्न चरणों में इनकी अंश पूँजी के 49 प्रतिशत का भाग क्रमशः विनिवेश (Disinvestment) किया जायेगा इसके बाद सरकार द्वारा इस निर्णय पर निरन्तर अमल किया जा रहा है और स्वामी – पूँजी में निजी क्षेत्र की भागीदारी से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निजी क्षेत्र कुशल पबन्ध व्यवस्था का लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण की दिशा में नीति सम्बंधी यह निर्णय मील का पत्थर साबित हुआ है। अतः प्रस्तुत शोध–पत्र के अध्ययन के द्वारा पाठकों को उचित लाभ व मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

स्त्रोत

1ण व्यवसायिक पर्यावरण (भारत में आर्थिक सुधार)।
2. नेट पर आधारित जानकारी के आधार पर।